न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :— करतारसिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2021/220 (220/2021) 225 आरटीएक्ट

1. रामकुमार पुत्र लाधूराम
2. महन्तराम पुत्र लाधूराम

} जाति सुथार निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— अपीलान्ट

बनाम

1. मनोज कुमार पुत्र अर्जन जाति यादव निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. सुलतान पुत्र लाधूराम —फौत
   - 2/1 चन्द्रपाल पुत्र सुलतान
   - 2/2 पृथ्वीराज पुत्र सुलतान
   - 2/3 चुन्नीराम पुत्र सुलतान
   - 2/4 मदनलाल पुत्र सुलतान
   - 2/5 जीतराम पुत्र सुलतान
   - 2/6 हनुमान पुत्र सुलतान
   - 2/7 कैलाश पुत्री सुलतान
   - 2/8 बसकरो पुत्री सुलतान
3. मनफूल पुत्र लाधूराम
4. श्योचन्द पुत्र शंकरलाल
5. हीरालाल पुत्र शंकरलाल

} जाति सुथार निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। (राज0)

— रेस्पोडैन्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय उपखण्डाधिकारी एवं सहायक कलक्टर, टिब्बी दिनांक
प्रकरण संख्या 41/2016 बअनवानी मनोज कुमार बनाम सुलतान आदि

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री राजेन्द्र भुंवाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1
श्री संतोष कुमार भाटी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2/7, 2/8, 3

निर्णय दिनांक – 11.X.2022

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया कि प्रार्थी के नाम चक 4 सीडीआर के खाता संख 98/91 में आराजी दर्ज रिकार्ड है तथा अप्रार्थीगण के नाम इसी चक के खाता संख्या 164/154 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी की अपनी आराजी में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने चक 4 सीडीआर प. नं. 227/226 (19) किला नं. 20, 21 के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की और प्रवेश करता है उक्त बिघो में 1–1 बिस्वा रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहता है, जो स्वीकार किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे ब्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. अपील पेश होने पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने प्रार्थना–पत्र एवं राजीनामा पेश किया।
3. उभयक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष ने राजीनामा के अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. राजीनामा के अनुसार दोनों पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। राजीनामा अनुसार प्रथम पक्ष अधीनस्थ न्यायलाय के निर्णय दिनांक 01.10.2021 को सही होना स्वीकार करते हुए मौजूदा अपील वापिस ले रहे हैं व रास्ता जो मंजूर किया गया है वह खाला के चिपते हुए उत्तर से दक्षिण किला नं. 20, 21 में से स्वीकृतानुसार मौका पर चालू करवाने में प्रथम पक्ष सहमत है किला नं. 21 में निर्मित कमरा दीपावली के बाद हटा लें हटाते वक्त उसके खर्चा स्वरूप 1000/– (अखरे रूपये दस हजार रूपये मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त करेंगे।

5. अतः मुताबिक राजीनामा अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.10.2021 यथावत रखा जाता है। मुताबिक राजीनामा किला नं. 21 में निर्मित कमरा दीपावली के बाद हटाया जावे एवं हटाते वक्त इसके खर्चा स्वरूप 1000/– (अखरे रूपये दस हजार रूपये मात्र) द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक 11. X. 2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

11/X/22

(करतार सिंह पूनियाँ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़